कार्यालय जिला पंचायत मेरठ।

अल्पकालिक निविदा सूचना

जिला पंचायत मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष निर्माण कार्यो के टेण्डर दिनांक 28.1.2011 को समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आमन्त्रित किये जाते है जो उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष अपरान्ह 3 बजे टेण्डर समिति द्वारा खोले जायेगें। टेण्डर फार्म निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत मेरठ के अभियन्त्रण विभाग से दिनांक 27.1.2011 को समय प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक क्रय किये जा सकते है। टेण्डरदाताओं को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1985 में दिये गये प्राविधानों व समय–2 पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। शासनादेश संख्या 425/23–7–2010(सा0)/09 दिनांक 29 जनवरी 2010 के अनुसार रूपये 25.00 लाख तक की लागत वाले निर्माण कार्यो में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए आरक्षण रहेगा। निर्माण कार्यो के पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत मेरठ में एवं जनपद की वेबसाईट http:// meerut.nic.in से डाउनलोड कर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मेरठ के पद नाम से निर्धारित टेण्डर शुल्क जमा कर देखा व क्रय किया जा सकता है। अतः जिला पंचायत मेरठ में पंजीकृत ठेकेदार जो इच्छुक हो वह सीधे उक्त वेबसाईट से भी टेन्डर फार्म प्राप्त कर सकते है। ऐसे ठेकेदार जो टैन्डर फार्म का मूल्य टेन्डर खोलने के पूर्व कार्यालय जिला पंचायत मेरठ में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट बनवाकर जमा कर सकते है। बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का होगा तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के पदनाम से होगा। प्रत्येक निविदा के साथ 100/– रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित स्व घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा जिसका प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यो का विवरण एवं अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है शेष सभी शर्ते निर्माण नियमावली की लागू रहेगी। कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	2 % धरोहर राशि	टेण्डर फार्म का मूल्य	वाणिज्य कर	समय अवधि	आरक्षण श्रेणी
1	ग्राम खासपुर में इन्टरलाकिंग कार्य	700000	14000	300	30	2 माह	आरक्षित
2	ग्राम कैली में इन्टरलाकिंग कार्य	700000	14000	300	30	2 माह	आरक्षित
3	ग्राम कपट्टा में इन्टरलाकिंग कार्य	700000	14000	300	30	2 माह	
4	ग्राम कौल में इन्टरलाकिंग कार्य	700000	14000	300	30	2 माह	
5	ग्राम भदौली में इन्टरलाकिंग कार्य	600000	12000	300	30	2 माह	
6	ग्राम बमनपुरा में इन्टरलाकिंग कार्य	600000	12000	300	30	2 माह	
7	ग्राम अजराडा में इन्टरलाकिंग कार्य	600000	12000	300	30	2 माह	
8	ग्राम खाता में श्री गोपी सैनी के मकान से राज पाल सैनी के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य	500000	10000	300	30	2 माह	
9	ग्राम धन्तला सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	800000	16000	300	30	2 माह	आरक्षित
10	ग्राम नंगला पातू सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	800000	16000	300	30	2 माह	
11	ग्राम पीपलीखेडा में सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	400000	8000	200	20	2 माह	
12	ग्राम आड में सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	400000	8000	200	20	2 माह	
13	ग्राम खडखडी में सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	600000	12000	300	30	2 माह	
14	ग्राम नंगला पातू में अवशेष इन्टरलाकिंग कार्य	800000	16000	300	30	2 माह	
15	ग्राम नंगला शेखू में सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	400000	8000	200	20	2 माह	
16	ग्राम जसौरी सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	600000	12000	300	30	2 माह	आरक्षित
17	ग्राम चन्दपुरा सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	600000	12000	300	30	2 माह	
18	ग्राम श्याल सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलाकिंग कार्य	400000	8000	200	20	2 माह	

शर्तेः– 1– सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

2– कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जिला पंचायत मेरठ में निहित होगा।

3– टैन्डर स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण करने हेतू आदेश लेने की ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और अनुबन्ध तीन दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा।

4– उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1985 के समस्त नियम मान्य होगें ।

5– टैन्डर स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को 10 प्रतिशत अस्थायी जमानत एन0एस0सी0 / के0वी0पी0 / एफ0डी0आर0 के रूप में प्रत्येक कार्य की अलग–2 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मेरठ के पदनाम से बन्धक कराकर देनी अनिवार्य होगी।

(प्रेमचन्द्र)
अभियन्ता,
जिला पंचायत, मेरठ।

(डा0 भीकम सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

(मनिन्दर पाल सिंह)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत मेरठ।

पत्रांकः– 6483(A)/जि0पं0 दिनांकः– 15-1-11 / 25-1-11

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

1–आयुक्त, महोदय मेरठ मण्डल मेरठ, जिला जज, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त तहसीलदार जनपद मेरठ व समस्त विकासखण्ड अधिकारी जनपद मेरठ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतू।

2–मा0 अध्यक्ष, महोदय जिला पंचायत मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ।

3–अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) मेरठ, को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त टेन्डर सूचना को जिला पंचायत की वेबसाईट http://meerut.nic.in पर अंकित कराने का कष्ट करे।

4–अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0से0वि0 / लो0नि0वि0प्रा0ख0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 मेरठ को इस आशय के साथ कि वे उपरोक्त वर्णित कार्यो काअपने विभाग के कार्यो से मिलान कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

5–सम्पादक, समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला मेरठ एवं दैनिक हिन्दू मेरठ को इस आशय के साथ कि वे उपरोक्त निविदा सूचना अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में केवल एक बार कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल समाचार पत्र को दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

6–वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत मेरठ को उपरोक्त निविदा कार्यवाही में भाग लेने हेतु सूचनार्थ ।

7–जिला पंचायत मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत मेरठ ।

DIO NIC
कृ0 वेबसाईट पर
अपलोड कर दें

अपर कलक्टर / जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)
मेरठ।
25-1-11